



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271987  
CG-DL-E-22042026-271987

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1928]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1928]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 2001(अ)—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5753 (अ) तारीख 11.12.2025 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में श्रीकाकुलम-अंगुल पाइपलाइन (एस ए पी एल) और स्पर पाइप लाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

(अनुसूची)

श्रिकाकुलम -अनगुल गैस पाईपलाइन								
भूमि अनुसूचि								
जिला- रायगडा		राज्य : ओडिशा						
तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं	अधिसूचित क्षेत्र			संशोधितक्षेत्र		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर	हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कलनरा	जम्बालीलीवारी-314	207	00	38	40	00	46	05
		209	00	39	93	00	55	22
कलनरा	पादलेखापै-310	105	00	00	00	00	34	25
कलनरा	तेंतुलीपादर-313	7/1	00	78	39	00	84	68
रायगडा	हलुआ-137	610	00	01	09	00	01	10
		611	00	01	10	00	01	26
		621	00	15	98	00	16	86
रायगडा	गुमा-447	99	00	07	25	00	19	98
काशीपुर	मकापदार-98	353	00	01	73	00	01	98
काशीपुर	टिकिरी-117	1472	00	00	00	00	02	23
		1479	00	01	39	00	08	38

[फा. सं. एल-14014/212/2021-जीपी-II (ई-40969)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2026

**S.O. 2001(E).**—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 5753 (E) dated. 11.12.2025 issued under sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intension to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended

to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam-Angul Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India.

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the specified in the Schedules appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from encumbrances.

**"Schedule"**

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE								
LAND SCHEDULE								
District- Rayagada		State: Odisha						
Name of Tehsil	Name of Village- Thana no.	Survey No.	NOTIFIED AREA			REVISED AREA		
			Hector	Are.	Sq.mtr.	Hector	Are.	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kolnara	Jambalilibari-314	207	00	38	40	00	46	05
		209	00	39	93	00	55	22
Kolnara	Padalekhpai-310	105	00	00	00	00	34	25
Kolnara	Tentulipadara-313	7/1	00	78	39	00	84	68
Rayagada	Halua-137	610	00	01	09	00	01	10
		611	00	01	10	00	01	26
		621	00	15	98	00	16	86
Rayagada	Guma-447	99	00	07	25	00	19	98
Kashipur	Makapadara-98	353	00	01	73	00	01	98
Kashipur	Tikiri-117	1472	00	00	00	00	02	23
		1479	00	01	39	00	08	38

[F. No. L – 14014/ 212/2021/-GP/II (E-40969)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.